न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, केम्प कोर्ट सम्बाड़िया

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 12/2015

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमति हेमलता कंवर पुत्री स्व. नाथूसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम भागासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. नाथूसिह 2. विरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. नाथूसिह जातियान राजपूत निवासी भागासनी तहसील बिलाड़ा 3. भरतसिंह पुत्र स्व. नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भागासनी तहसील बिलाड़ा, हाल– द्वारा छतरसिंह, ग्राम पांचला खुर्द, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर 4. कल्याणकंवर पुत्री स्व. श्री नाथूसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति- राजपूत निवासी–द्वारा विजयराज हंसारिया, चावण्डा कॉलोनी, बिंजवाड़िया रोड बिलाड़ा 5. वेद्यवंती कंवर पुत्री स्व. नाथूसिंह पत्नी गुमानसिंह देवल, जाति राजपूत निवासी ग्राम राजियावास, तहसील भीनमाल, जिला जालौर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थितिः–प्रार्थी की ओर से श्री सी.आर. चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री एम.एस.राठौड़ अधि0
अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की ओर से श्री आर.पी. अधि0
अप्रार्थी संख्या 6 सरकारी पैरोकार

:: आदेश :: दिनांक 26.05.2017

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भागासनी तहसील बिलाड़ा में स्थित खसरा नम्बर 120 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/1 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/4 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 106 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की पुश्तैनी कृषि भूमि आई है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में प्रार्थीनी के पिता स्व. नाथूसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद थी। स्व. नाथूसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् उनके जाईन्दा पुत्र व पुत्रियो के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। प्रार्थीनी की बहिन श्रीमति शिवकुमारी ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी विरेन्द्रसिंह के पक्ष में हकतर्क कर दिया। स्व. नाथूसिंह ने अपने जीवन काल में वादग्रस्त भूमि का मौखिक बंटवाड़ा कर दिया था, जिसके तहत खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीनी के हक हिस्से में रखी गयी तथा, मौके पर माठे भी कायम कर दी, राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम भी कर दी, किन्तू राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश प्रार्थीनी के नाम अलग से खातेदारी दर्ज नही की गई, जबकि वाद मौखिक बंटवाड़ा प्रार्थीनी का ही उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त वर्तमान में प्रार्थीनी की ही फसल बोई हुयी है। प्रार्थीनी उनके पिता स्व. श्री नाथूसिह की सबसे छोटी पुत्री थी, इस कारण से प्रार्थीनी के प्रति उनका लगाव शुरू से ही ज्यादा था, इस कारण से उन्होने अपने जीवन काल में ही खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा की भूमि का मौखिक बंटवाड़ा कर उनके सभी वारिसान की उपस्थिति में प्रार्थीनी को कब्जा सुपुर्द कर दिया। बाकी बचे खसरा नम्बर 120 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/1 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/2 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/4 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा

सहायक कलेक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

09 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 2/7 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/7 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का 1/7 हिस्सा कानुनन बनता है। पूर्व में अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि को अन्यत्र विक्रय करने एवं प्रार्थीनी को जबरन बेदखल करने की धमकिया देने लगे, तब प्रार्थीनी ने एक वाद राजस्व मूल वाद संख्या 19/2015 वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं बंटवाड़ा एव्रं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् अप्रार्थीगण ने प्रार्थीनी से राजीनामा कर लिया तथा प्रार्थीनी को यह आश्वासन दिया कि आप वादग्रस्त सभी खसरान में हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा दो उसके पश्चात् खसरा नम्बर 120/5 की भूमि बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा देंगे। प्रार्थीनी ने अप्रार्थीगण पर विश्वास कर राजीनामा पेश किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2015 को उपरोक्त वाद डिक्री कर वादग्रस्त सभी खसरान की भूमि में प्रार्थीनी को 1/7 का खातेदार, काश्तकार घोषित किया गया। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि को दौराने मूल वाद निस्तारण तक अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार का बैचान, हस्तान्तरण अथवा राजस्व रेकर्ड में रदोबदल नही करे, प्रार्थीया को उसके कब्जाकाश्त सुदा कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 120/5 से जबरन बेदखल नही करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति दौराने मूल वाद बनाये रखी जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल होकर लोटे। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता ने अण्डरटेकिंग ली तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किया गया, अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाता है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली की ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम भागासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा प्रार्थीनी के पिता नाथूसिंह जी की खातेदारी की थी। स्व. नाथूसिंह के देहान्त के बाद उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की सयुक्त खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गयी है। स्व. नाथूसिंह द्वारा खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा की भूमि का मौखिक बंटवाड़ा में सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी को दे दी गयी, उपरोक्त पत्रावली में ऐसा कोई दस्ताव्रेज पेश नही किया हुआ है कि विवादित भूमि अकेले प्रार्थी को बंट में दे दी गयी। विवादित भूमि खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 सयुक्त खातेदार है। सभी सयुक्त खातेदार के बीच किसी प्रकार का बंटवाड़ा या हक हकूक का निर्धारण नही हो जाता है तब तक भूमि सयुक्त खातेदारी की मानी जाती है। जैसा कि राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि एक सयुक्त रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेरे विनम्र मत में मेरिट्स के आधार पर चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 26.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा